झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

का॰ आ॰ सं॰– 8/ज०स०(नि०) विविध–15 –04/14 (खण्ड) राँची, दिनांक –

आदेश

श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह (आई०डी०–3286) सहायक अभियंता की सेवा ग्रामीण विकास विभाग राँची से वापस लेते हुए विभागीय अधिसूचना सं०–7776 दिनांक 21.12.13 द्वारा रूपांकण प्रमण्डल सं०–2 मेदिनीनगर में पदस्थापित किया गया था। श्री सिंह द्वारा विभागीय स्थानांतरण आदेश का अनुपालन ससमय नहीं किये जाने के कारण विभागीय पत्रांक 2717 दिनांक 27.03.14 द्वारा कारण पृच्छा की गई।

2) श्री सिंह से प्राप्त कारण पृच्छा की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के कारण पृच्छा को अस्वीकृत करते हुए विभागीय आदेश ज्ञापांक 1742 दिनांक 13.04.15 द्वारा निम्न दण्ड संसूचित किया गया :–

(i) दो वेतनवृद्धि पर असंचयात्मक प्रभाव से रोक।

3) उक्त दण्ड के सापेक्ष श्री सिह द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया। प्राप्त अपील अभ्यावेदन की समीक्षा सरकार स्तर पर की गई। सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह के अपील अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य या तर्क नहीं दिया गया है जिसके आधार पर इन्हें संसूचित दण्ड पर पुनर्विचार किया जा सके।

अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह द्वारा दायर अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

4) उक्त पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/–

सरकार के अवर सचिव (नि०)

ज्ञापांक – 3037 राँची,दिनांक – 08-06-16

प्रतिलिपि – महालेखाकार झारखण्ड, राँची/माननीय मंत्री के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव जल संसाधन विभाग राँची/कोषागार पदाधिकारी, मेदिनीनगर/मुख्य अभियंता जल संसाधन विभाग, मेदिनीनगर/उप सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग राँची/श्री सुरेन्द्र प्रसाद सिंह, तकनीकी सलाहकार कदवन बाँध अंचल गढ़वा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

08/06/2016

सरकार के अवर सचिव (नि०)

08.06.16

F:\kanhaiya 2016\I.S. B.M.P singh\Office Order.docx